

2.42


परियोजना का नाम:-

मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के कि.मी. 3 से चटिग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।


प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.



सहायिका अभियन्ता
लो.नि.वि.



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का सीमांकन का प्राक्कलन

- 1 परियोजना का नाम- (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी 0 3 से चटिग्याला-कोटी -नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक भूमि हस्तान्तरण।

क0स0	विवरण / इकाई	कुल किमी	दर प्रति किमी	धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आर0सी0सी0 पिल्लर(मुनारा) बनाना 1:8 सीमेंट मसाले में मय प्लास्टर करना दो कोट चूना सफेदी व नम्बर करना	7.7 किमी	11640.00	89628.00


 प्रभागीय वलाधिकारी
 बंद्रीनाथ वन प्रभाग, गंगेखेत


 वन वलाधिकारी
 नन्दप्रसाद राज
 बंद्रीनाथ वन प्रभाग, गंगेखेत

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम— मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के कि.मी. 3 से चटिग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

2:- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में)	1.307 है.
आरक्षित वन भूमि—	— शून्य— है.
सिविल एवं सोयम वन भूमि:-	0.550 है.
वन पंचायती भूमि—	0.437 हैं.
मक डिस्पोजल क्षेत्र(सिविल)—	0.320 है.
निजी भूमि —	<u>4.403 है.</u>

- 3:- प्रस्तावक विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग
- 4:- वन प्रभाग का नाम :- बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
- 5:- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है:- हाँ / नहीं
- 6:- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:- हाँ / नहीं
- 7:- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हाँ / नहीं
- 8:- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ / नहीं,
- 9:- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:- हाँ / नहीं,
- 10:- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / संलग्न है:- हाँ / नहीं
- 11:- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ / नहीं
- 12:- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। हाँ / नहीं

13:-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप

से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

14:- क्या वृक्षों की संख्या अनुसार हरियाली का घनत्व सही है:-

हाँ/ नहीं

15:- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है-

हाँ/ नहीं

16:- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया

गया है:-

हाँ/ नहीं

17:- प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/ परियोजना के आस-पास रिक्त

पडे स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

18:- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से

महत्वपूर्ण है:-

हाँ/ नहीं

19:- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है:-

हाँ/ नहीं

यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है-

हाँ/ नहीं

20:- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है:-

हाँ/ नहीं

21:- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से

आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे

बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति

की प्रति संलग्न करें):-

नया प्रस्तावित है।

22:- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2

रंगों से भरा गया है:-

हाँ/ नहीं

23:- यदि सडक का आरम्भिक विन्दु किसी मार्ग से निकलता

है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है:-

हाँ/ नहीं

24:- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का

उल्लंघन हुआ है:-

हाँ/ नहीं

25:- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय:-

हाँ/ नहीं

26:- सडक निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/ वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं:-

हाँ/ नहीं

27:- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय):-

संलग्न

28:- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा):-

हाँ/ नहीं

29:- मानचित्र व वार चार्ट में एक रूपता है:-

हाँ/ नहीं

30:- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण -पत्र संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

31:- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण -पत्र प्रस्ताव में संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

32:- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है:-

हाँ/ नहीं

33:- यदि वन भूमि लीज पर दी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र, संलग्न है:-

लागू नहीं

34:- वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

35:- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है:-


हाँ/ नहीं


36:- क्या-चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र -संलग्न:-


हाँ/ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फौकट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण -पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।


अनीन
लो.नि.वि.


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग